

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सां०-९/आ०-०२-४०/२०२४(स्वा०) /पटना, दिनांक:-.....

डॉ० अजय कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जहानाबाद के विरुद्ध विभागीय अधिसूचना सं०-१२७०(४) दिनांक-०८.११.२०१८ एवं सिविल सर्जन, जहानाबाद के पत्रांक-२३९८ दिनांक-१५.११.२०१८ के अनुपालन में तीन माह विलंब से सदर अस्पताल, जहानाबाद में योगदान करने, मूर्च्छक के कार्य हेतु प्रशिक्षित होने के बावजूद मूर्च्छक का कार्य नहीं करने, अप्राधिकृत रूप से चिकित्सीय संस्थानों के कार्य में हस्तक्षेप करने एवं संस्थागत महिला कर्मियों से अभद्र व्यवहार करने के आरोप में विभागीय संकल्प सं०-६३१(९) दिनांक-१०.०६.२०२५ द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

२. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच-प्रतिवेदन (अधिगम) के आलोक में विभागीय पत्रांक-१२६३(९) दिनांक-१७.१२.२०२५ द्वारा डा० कुमार से सदर अस्पताल, जहानाबाद में विलंब से योगदान करने के आरोप में लिखित अभ्यावेदन की माँग की गयी।

३. डा० कुमार द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित कर अवगत कराया गया कि वे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काको, जहानाबाद में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के प्रभार में थे। उक्त संस्थान का रोगी कल्याण समिति का कौशुबुक अद्यतन नहीं होने के कारण उनके द्वारा तीन माह विलंब से दिनांक-२४.०१.२०१९ को सदर अस्पताल, जहानाबाद में योगदान समर्पित किया गया। उनके द्वारा दिनांक-०१.११.२०१८ से २४.०१.२०१९ तक प्रा०स्वा०केन्द्र, काको, जहानाबाद में कार्य किया गया है।

४. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा० कुमार के विरुद्ध गठित आरोप-पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच-प्रतिवेदन (अधिगम) एवं लिखित अभ्यावेदन प्रत्युत्तर की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काको, जहानाबाद के पत्रांक-२६२ दिनांक-१९.०३.२०१९ द्वारा डॉ० अजय कुमार का अंतिम वेतन पर्ची निर्गत किया गया है। उक्त में उल्लेख किया गया है कि डॉ० कुमार दिनांक-०१.११.२०१८ से २४.०१.२०१९ तक कर्तव्य पर उपस्थित थे। साथ ही संचालन पदाधिकारी द्वारा शेष अन्य आरोप को प्रमाणित नहीं होने का मतव्य दिया गया है। फलतः डा० कुमार को कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप से मुक्त करने का विनिश्चय किया गया।

५. अतएव डा० अजय कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जहानाबाद सम्प्रति क्षेत्रीय अपर निदेशक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-६३१(९) दिनांक-१०.०६.२०२५ द्वारा गठित कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप से मुक्त किया जाता है।

६. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-९/आ०-०२-४०/२०२४(स्वा०) ३५७(९) /पटना, दिनांक:- ०१.०४.२६

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (बै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/मुजफ्फरपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

०१ [Signature]

(15)

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये, मगध प्रगंडल, गया/तिरहुत प्रगण्डल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, जहानाबाद/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—डा० अजय कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अरपताल, जहानाबाद सम्प्रति क्षेत्रीय अपर निदेशक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—प्रशाखा पदाधिकारी 2(ए), 3, 7, 8, 10, 17 एव 18A को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई० टी० मैनेजर, स्वा० विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

5406
01/04/2026

सरकार के अवर सचिव।